

**झारखण्ड सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**संकल्प**

**विषय:—जुगसलाई नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु कुल 1,21,10,723 /—रु० की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। इस क्रम में शहरी क्षेत्र की सड़कों पर सुरक्षित आवागमन एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से पथ-प्रकाश की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्य है।

पुनः नित्य विकास की ओर अग्रसर झारखण्ड राज्य में ऊर्जा की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं एवं बिजली की कमी को देखते हुए ऊर्जा दक्ष तकनीक एवं उपकरणों का उपयोग समयानुकूल है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक अनुमान के अनुसार पारम्परिक स्ट्रीट लाइटिंग को एलईडी में परिवर्तित कर लगभग 50% ऊर्जा की बचत की जा सकती है।

2. उक्त क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-4378 दि०-09.08.2016 के द्वारा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर झारखण्ड राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत संयुक्त क्षेत्रीय उपक्रम M/s Energy Efficiency Services Ltd. (EESL) की मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. वर्तमान में जुगसलाई नगरपालिका में कुल 1377 स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, जिनमें से 227 LED स्ट्रीट लाइट हैं तथा 1150 पारंपरिक स्ट्रीट लाइट है। नगरपालिका क्षेत्र में कुल 1150 खाली पोल है। मेसर्स EESL द्वारा उक्त स्वीकृति के क्रम में जुगसलाई नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान एवं खाली पोल पर LED स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन तथा CCMS (Central Control & Monitoring System) के लिए Earthing के प्रावधान हेतु Annuity Model के आधार पर कुल 1,21,10,723 /—रु० का योजना प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पत्रांक-290(S&D). दिनांक-30.05.2017 द्वारा अग्रसारित उक्त योजना हेतु मेसर्स EESL द्वारा तैयार प्राक्कलन पर अभियंता प्रमुख, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है:—

<b>(A) Phase I: Replacement of Conventional light with LED Lights (1150 Nos.)</b>					
S.No	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (Rs.)
1	LED light-190 W	234	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	4446000
2	LED light-75 W	454	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	3405000
3	LED light-40 W	462	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	1848000
4	Total Cost of LED lights			Rs. 10/Watt	9699000
5	Infrastructure development charge		@ 10% of S.No.-4		969900
6	Project Management consultancy		@ 3% of S.No.-4 & 5		320067
	<b>Total -</b>		<b>9890070.30</b>	<b>1098896.70</b>	<b>10988967</b>
<b>(B) Phase II: Installation of LED Lights on Vacant Electric poles (98 Nos.)</b>					
S.No	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (Rs.)
1	LED light-125 W	20	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	250000
2	LED light-75 W	49	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	367500
3	LED light-40 W	29	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	116000
4	Total Cost of LED lights				733500
5	Infrastructure development charge		@10% of S.No. 4		73350
6	Project Management consultancy		@3% of S. No. 4 & 5		24205.5
	<b>Total-</b>		<b>747949.95</b>	<b>83105.55</b>	<b>831055.5</b>

(C) Infrastructure Development Component for Phase I					
S.No	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (Rs.)
1	Supply & Installation of Pipe Earthing (40 dia 2.5m ling GI pipe for CCMS earthing)	33	2000	1000	99000
Total-			66000	33000	99000
(D) Infrastructure Development Component for Phase II					
S.No	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (Rs.)
1	Supply & Installation of Pipe Earthing (40 dia 2.5m ling GI pipe for CCMS earthing)	3	2000	1000	9000
Total -			6000	3000	9000
(E) Supervision Cost (@ 15% of Manpower Cost)					Rs. 182700.33
Total Project Cost (A+B+C+D+E)					Rs. 12110722.8
					Say Rs. 12110723

5. उक्त योजना के फेज-I के अन्तर्गत जुगसलाई नगरपालिका में वर्तमान में लगे हुए 1150 पारंपरिक लाईट को बदलकर LED Light लगाने पर कुल रू० 1,09,88,967/- की लागत आयेगी, जिससे प्रत्येक वर्ष 0.50 MU (Million Unit) ऊर्जा बचत होगी एवं मौजूदा बिजली की दर से रू० 22,54,176/- की बिजली बिल की बचत होगी। साथ ही, 1150 लाईट के रखरखाव पर खर्च होनेवाले अनुमानित रू० 12,00,000/- की बचत होगी। इस प्रकार LED Light के अधिष्ठापन से कुल रू० 34,54,176/- की बचत होगी। इसके बदले जुगसलाई नगरपालिका द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. को प्रतिवर्ष उक्त बचत राशि में से रू० 30,20,763/- का भुगतान किया जायेगा एवं M/s Energy Efficiency Services Ltd. को भुगतान के उपरांत निगम को प्रतिवर्ष पर कुल रू० 4,33,413/- की बचत होगी।

6. पुनः उक्त योजना के फेज-II के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित खाली पोल पर पारंपरिक लाईट के स्थान पर LED Light के लगाये जाने पर उक्त की भांति बिजली एवं निधि की बचत होगी एवं उक्त क्षेत्र के निवासियों को रात्रि पथ प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सकेगी, जिसके फलस्वरूप सामाजिक सुरक्षा बेहतर होगी तथा व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित 98 खाली पोल पर M/s Energy Efficiency Services Ltd. के द्वारा LED Light के अधिष्ठापन पर कुल 8,31,055/- रू० की लागत आयेगी एवं इसके लिए नगरपालिका द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. को प्रतिवर्ष रू० 2,28,449/- का भुगतान किया जायेगा।

7. उक्त योजना के फेज-I एवं फेज-II अन्तर्गत कुल 1248(1150+98) LED Light हेतु जुगसलाई नगरपालिका द्वारा प्रतिवर्ष क्रमशः रू० 30,20,763/- एवं रू० 2,28,449/- यानि कुल रू० 32,49,212/- का भुगतान M/s Energy Efficiency Services Ltd. को अगले 07 वर्षों तक किया जायेगा। इस प्रकार प्रतिवर्ष प्रत्येक LED Light के लिए M/s Energy Efficiency Services Ltd. को 2,604/-रू० का भुगतान किया जायेगा।

8. उक्त योजना के फेज-I एवं फेज-II हेतु CCMS (Central Control & Monitoring System) के लिए Earthing के लिए लागत क्रमशः 99,000/-रू० एवं 9,000/-रू० यानि कुल 1,08,000/-रू० तथा योजना पर्यवेक्षण लागत रू० 1,82,700/- आयेगी, जिसका भुगतान नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा क्रमशः M/s Energy Efficiency Services Ltd. एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची को जुगसलाई नगरपालिका के माध्यम से Upfront Payment Basis के आधार पर किये गए वास्तविक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।

9. जुगसलाई नगरपालिका के पत्रांक-672, दिनांक-30.05.17 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त योजना प्रस्ताव पर विचार हेतु दिनांक-17.03.17 को Stakeholders की बैठक आयोजित की गयी।

10. M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा झारखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों में Annuity Model के आधार पर LED स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. के साथ MOU किया गया है। जुगसलाई नगरपालिका हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव पर जुगसलाई नगरपालिका के द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. के साथ MOU किया जायेगा, जिसके प्रारूप पर मंत्रिपरिषद झारखण्ड के स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया।

11. जुगसलाई नगरपालिका हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत फेज-I एवं फेज-II के साथ-साथ या आगे-पीछे कार्यान्वयन के संबंध में जुगसलाई नगरपालिका एवं M/s Energy Efficiency Services Ltd. के द्वारा आपसी विचार विमर्श के आधार पर परिस्थितिगत आवश्यकता अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।

12. उक्त योजना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची के द्वारा वहनीय व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना मद के अन्तर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से किये जाने का प्रस्ताव है:-

मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-796 (191/789) के अन्तर्गत उपशीर्ष-79- वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित तीनों प्रक्षेत्र (TSP/OSP/SCSP) से की जायेगी।

13. M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-4378 दिनांक-09.08.2016 के प्रावधानों तथा नगर विकास एवं आवास विभाग एवं जुगसलाई नगरपालिका के साथ हस्ताक्षरित MOU के अनुरूप सेवाएँ प्रदान की जायेगी।

LED Light के अधिष्ठापन के पश्चात् अपेक्षित सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर 2% दंड शुल्क का प्रावधान किया गया है, जो AMC से वसूलनीय होगी। LED Street Light से संबंधित समस्त शिकायतों का निपटारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था अन्तर्गत 48 घंटे के अंदर सर्वश्री EESL के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

14 जुगसलाई नगरपालिका के द्वारा उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में LED Light अधिष्ठापित खम्भों पर विज्ञापन, आदि के माध्यम से नियमानुसार राजस्व संसाधन जुटाए जाएँगे, जिनका सर्वप्रथम उपयोग इस व्यवस्था के अन्तर्गत किए जाने वाले भुगतान हेतु किया जाएगा।

15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-5/न0वि0/विविध (EESL)-113/2016.....4080 राँची, दिनांक-29/06/17

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजटीय, नगर विकास एवं आवास विभाग को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-5/न0वि0/विविध (EESL)-113/2016.....4080 राँची, दिनांक-29/06/17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/विशेष पदाधिकारी, जुगसलाई नगरपालिका/महाप्रबंधक, जुडको लिमिटेड/परियोजना निदेशक (प्रशासन), जुडको लिमिटेड/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप सचिव, बजट शाखा/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई-प्राक्चूरमेन्ट सेल, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।